न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/247

रूगनाथ आत्मज श्री रामा जी जाति धाकड निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज०।

——अपीलान्ट

बनाम

1.ग्यारसीलाल आत्मज देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज हाल निवासी छाबडियो का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०
2.रतना पुत्र श्री देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज हाल निवास रिशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज
3.मथुरालाल आत्मज श्री देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज०
4.श्रवण आत्मज देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज० हाल निवासी भीलवाडा जिला भीलवाडा राज
5.मनभर पुत्री देवीलाल जाति बैरवा मनम निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज० निवासी खातोला वाया नगर जिला टोंक राज०
6.भूली पत्नी देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज०
7.भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी राज०

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01, 02, 04 व 05 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.10.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 26/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट 01 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना बाबत् अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम भावपुरा पटवार मण्डल धानुगांव तहसील नैनवों में कृषि भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 24 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका इन्द्राज वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संख्या

34 (नयी) सम्वत् 2062 से 2065 तक में हो रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को वादी ने करीब 50–55 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम नोतोड़ भूमि से काश्त हेतु आबाद कर भूमी को काबिल काश्त बनाकर भूमि पर काश्त करना शुरू किया था, उक्त भूमि पूर्व में पूर्णतः बंजड़ भूमि थी, जिसको वादी ने बड़ी मुश्किल से कड़ी मेहनत कर काबिल काश्त बनाने व भूमि को उपजाऊ बनाने में खेत में मिट्टी खाद आदि डलवाने में वादी के अब तक करीब 3,50,000/– रूपये अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये खर्च हो चुके है। वादी ही विगत 50–55 वर्षो से उक्त चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर काबिज होकर प्रत्येक वर्ष फसल बोकर काटकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है, उक्त भूमि के चारों तरफ वादी ने मिट्टी का पक्का डोल लगा रखा है, दो रिहायशी मकान बना रखे है, ट्यूबवेल लगा रखा है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आज दिन तक कभी भी किसी भी हैसियत से कोई हक अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है, प्रतिवादीगण ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त भूमि के सम्बंध में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में निराधार तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया जो भी वाद कारण है, जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टी पूर्ण अवैध अनाधिकृत अनुचित होने से प्रभाव शून्य वोईड है, उक्त प्रविष्टी के आधार पर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । दिनांक 12.6.2006 को दिन के 12 बजे करीब का वाका है कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित अपने हक अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि को अगली फसल बोने के लिये भूमि को तैयार करने हेतु खरार कर हांक रहा था, तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 हाथों में लकड़ियों लेकर जबरन अतिक्रमण कर वादी के उक्त खेत पर आ गये, व वादी को धमकी दी की वह अब उक्त भूमि पर जबरन अवैध व अनाधिकृत रूप से बिना किसी हक अधिकार के बलपूर्वक आधिपत्य करके रहेगें, वादी को शांति पूर्वक तरीके से काश्त नहीं करने देगें, वादी द्वारा फसल बोने पर वादी की फसल को नष्ट भ्रष्ट कर देगें, वादी को धारा 3 एस.सी. एस.टी. के झुंठे मुकदमों में फंसाकर बर्बाद कर देगें । जो वाद कारण है। प्रतिवादीगण का नाम जमाबंदी राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाते हुऐ प्रतिवादीगण 1,2,4 ग्यारसीलाल, रतना, श्रवण ने उक्त भूमि को बाकी प्रतिवादीगण 3,5,6 की सहमति से वादी को विक्रय करने का इकरार कर 100 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक जमीन बैचान ईकरारनामा वादी के हक में दिनांक 5.7.99 को टाईप करवाकर वादी से दिनांक 10.7.99 को 2 लाख 30 हजार रूपये प्राप्त कर ईकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर व अगूंठा निशानी कर गवाहान की गवाही के हस्ताक्षर करवा कर नोटेरी पब्लिक से बैचान इकरारनामा तस्दीक करवा दिया था। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी का एडवर्स पजेशन है। "प्रतिकूल कब्जे" के सिद्वान्त के आधार पर खातेदार आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुका है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाये तद्नुसार रेकार्ड आफ राइट्स जमाबंदी की वर्तमान प्रविष्टी में इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर रेकार्ड में स्वयं के नाम का इन्द्राज खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करवायें । वादी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी के शांती पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें । यदि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी को खातेदार कृषक

घोषित नहीं किया रेकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी में वादी के नाम का इन्द्राज खातेदार कृषक के रूप में दर्ज नहीं किया गया, प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द नहीं किया गया तो वादी को अपार एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापी संभव नहीं होगी । वाद कारण दिनांक 12.6.2006 को उदित होने से वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है, वेसे भी घोषणात्मक वाद हेतु कोई समय सीमाऐं निर्धारित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का पृथक से आवेदन पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। वाद धारा 88,89,92ए, आर.टी.एक्ट. का होने, वाद की विषय वस्तु तहसील नैनवाँ की सीमाओं में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद के श्रवण व न्याय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित ग्राम भावपुरा तहसील नैनवों में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 24 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पर वादी को खातेदार कृषक घोषित करवाये तद्नुसार रेकॉर्ड आफ राइट्स जमाबंदी में की वर्तमान प्रविष्टी में इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के नाम का अंकन रेकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 24 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पर वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें, उक्त भूमि पर जबरन आधिपत्य नहीं करें, ओर नहीं किसी अन्य से ही करवायें। खर्चा वाद वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान करते हुए डिकी फरमाया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 07.09.2022 द्वारा वादी अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण 01, 02, 04 व 05 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि निर्णय जैर अपील न्याय, विधि एवम् संचिता में

सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड का गलत विवेचन करते हुऐ एवं अपीलाण्ट के पक्ष को जाने बिना विधि विरूद्ध रूप से आदेश 7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने बाबत निर्णय प्रदान किया गया है, जो कानून के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय में यह तथ्य भली भांति पत्रावली पर था, कि वादग्रस्त आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ, उससे पूर्व अपीलाण्ट व उसके पिता के कब्जे काश्त में थी और एक करार के द्वारा भी उक्त भूमि का बैचान प्रतिवादीगण द्वारा किया गया था, जिसके प्रतिफलस्वरूप राशि भी प्राप्त की गयी। यह सारे तथ्य तनकीयात कायम करने के पश्चात साक्ष्य पर ही निधार्रित हो सकते थे, उक्त वाद में जवाब दावा प्रस्तुत हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आदेश 7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को तथ्यों के विपरीत जाकर सीपीसी के प्रावधानों को नजर अदांज करके वाद को जिस तरह से बार्ड बाई लॉ माना है, वह पूर्णतया गलत विवेचन है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व सीपीसी में कही पर भी वाद प्रस्तुत किये जाने से प्रतिबन्धित नही किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि बैचान के पश्चात बैचानकर्ता आराजी से अधिकार समाप्त हो जाता है, ऐसी आराजी पर यदि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर पाबन्द भी हो तो उक्त आराजी राजस्थान सरकार के नाम वापस सिवाय चक दर्ज किये जाने के प्रावधान होते है। यहां पर भी यही स्थिति थी, परन्तु माननीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसमें स्वयं प्रतिवादी जवाब दावे के पैरा संख्या–2 में इस तथ्य को स्वीकार करते है कि सन 2004 में बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लिया और अपीलाण्ट का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना स्वीकार करते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आने पर भी बिना विवेचना किये ही यादी अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद में कब्जे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और दूसरा मुख्य बिन्दु टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ, जिससे पूर्व में स्थित रिकॉर्ड और रेस्पोडेन्ट के किस तरह से आराजी खाते लगी का विचारण महत्वपूर्ण था। मैने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए है। माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ. जा.– अ. ज. जा., बून्दी द्वारा भी विवादित भूमि पर वर्षो से हमारा कब्जा काश्त माना है। हमें आज तक विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। मैने घोषणा के साथ–साथ धारा 89, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भी अनुतोष मांगा है। मैने स्थायी निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर दावा खारिज कर कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2018–19 (Sup) पेज 28–29, आर आर टी 2021 (2) पेज 1480–1492 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01, 02, 04, 05 ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अधिवक्त अपीलांट के कथनों का खण्डन करने हुए निवेदन किया कि यह स्थापित विधि है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है परंतु यदि तर्क हेतु यदि यह मान भी लिया जाए तो प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी वादी अपीलांट को विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। हालांकि प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्टगण ने कोई इकरारनामा नहीं किया परन्तु यदि तर्क हेतु इकरारनामा भी माना भी जाए तो वादी अपीलांट को अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर भी कोई हक अधिकार न्यायालय प्रदान नहीं कर सकता। जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर वादी को कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं हो सकते तो इस वाद को चलाए रखने का कोई औचित्य ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद चलने योग्य नहीं माना। अधीनस्थ न्यायालय में वादी का वाद कानून के विपरित था। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो सही है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 कम 01, 02, 04, 05 ने न्यायिक दृष्टांत आर बी जे (16) 2009 पेज 444–450, आर आर टी 2020(2) पेज 756–760 पेश करते हुए अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने दिनांक 14.06.2006 को वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.04.2011 के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 06 ने जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 30.08.2012 पर वादी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र दस्तावेज इम्पाउंड करने व प्रतिवादी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को पेश करना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी (अप्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र अंतर्गत सीपीसी में उनका मुख्य कथन रहा है कि वादी सवर्ण हिन्दू होने से तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के होने के कारण वादी का वाद विधि विरूद्ध है तथा वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज योग्य है। इसका जवाब वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 07.09.2022 पर आदेश/निर्णय अंकित किया तथा निष्कर्ष अंकित किया कि ,"हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्को पर मनन किया। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के खण्ड(छ) के अनुसार "जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;" के आधार पर प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति के खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय

में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो।" इस सम्बंध में हमने सीपीसी के आदेश 07 नियम 11 का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ. जा.– अ. ज. जा. (अ. नि.) बून्दी के निर्णय दिनांक 30.06.2011 से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है, हालांकि कब्जे काश्त के सम्बंध में अंतिम निष्कर्ष पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों आदि के पश्चात् अंतिम निर्णय में ही हो सकेगा। हम विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 के इस तर्क से तो सहमत है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति को किया गया विकय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरित है तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से प्रभावित है। हम अधिवक्ता रेस्पो0 के इस तर्क से भी सहमत है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी अन्य जाति या संवर्ग से सम्बंधित व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। परंतु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि इस कारण हस्तगत प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। वस्तुतः वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92ए के तहत वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 व तृतीय अनुसूचि में अंकित विषयों के प्रकाश में वादी अपीलांट राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा उस पर ऐसी कोई रोक नहीं है। अधिवक्तागण उभयपक्ष का यह भी कथन है कि विवादित भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी लंबित है। दूसरी ओर अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वक्त आवंटन से उनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है तथा आगे कथन किया कि वादी अपीलांट को आज तक विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। अतः विवादित भूमि पर किस पक्षकार का कब्जा–काश्त रहा है इसका निर्णय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बहस से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में तथ्य एवं विधि के प्रश्न अंतर्निहित हैं जिनका अंतिम रूप से निस्तारण होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने यह समझने में भूल की है कि हस्तगत प्रकरण आदेश 07 नियम 11 खण्ड छ से प्रभावित है। वस्तुतः हस्तगत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य को विकय करना विधि विरूद्ध है। परंतु केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत करने से वर्जित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्य प्रावधान भी सम्मिलित हो जाते है। यह भी निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होगा कि क्या पक्षकारों के मध्य कोई विकय, संविदा विवादित भूमि को लेकर हुआ अथवा नहीं? तथा इसका क्या प्रभाव विवादित भूमि पर पडेगा? विवादित भूमि पर वर्तमान में कब्जे काश्त की क्या स्थिति है? जहॉ तक धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरित दावा होने का प्रश्न है तो यह बिन्दु भी दावे में तनकी के आधार पर साक्ष्य व सबूत के आधार पर निर्णित किया जा सकता है। इस सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018–19(Sup) पेज 28 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2022 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 26/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 22.11.2023 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा